No. Z-11025/61/2017-OE-III Government of India, Ministry of External Affairs OF and PGE Division

Akbar Bhawan, New Delhi, Dated the 02nd December, 2019

Circular

Subject: - Difficulties faced by the ECR passport holder emigrants holding Emigration Clearance Approval from the PoE or Iraq bound ECNR passport holder registered in eMigrate system

With reference to the various difficulties reportedly faced by the emigrants at Immigration Check Post (I.C.P.) it is informed that -

- i) Emigrants holding ECNR passport and going to Iraq on re-entry are advised
 - a) To preferably get the visa stamped on their passport instead of travelling on letter issued by Ministry of Interior (MOI), Iraq to allow easier scrutiny of travel documents by ICP officials.
 - b) That they shall be allowed by BoI provided they were in Iraq on or before 30th September 2019, and hold valid travel documents.
- ii) Emigrants can contact PBSK Helpline (011-26885021, helpline@mea.gov.in) of Ministry of External Affairs in case of any difficulty in getting clearance from BoI on account of their eMigrate data not getting reflected in ICP system at airport.

This issues with the approval of AS and Protector General of Emigrants.

(Bikash R Mahato)

Under Secretary to Government of India (OE III)

To (through eMigrate website)

1. Emigrants/General Public.

Copy to -

- All the PoEs at Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Hyderabad, Bengaluru, Kochi, Trivandrum, Chandigarh, Jaipur, Patna, Rae Bareli and PoE cell Lucknow
- 2. BoI, New Delhi
- 3. All the Recruiting Agents/FEs.
- 4. Embassy of India, Iraq.
- 5. CGI, Erbil, Iraq.
- 6. PBSK Helpline.

संख्या - Z-11025/61/2017-OE-III

भारत सरकार विदेश मंत्रालय ओ.ई. (OE) एवं पी.जी.ई. (PGE) विभाग

अकबर भवन, नई दिल्ली दिनाँक 02 दिसंबर, 2019

सर्कुलर (Circular)

विषय:- पी.ओ.ई (POE) द्वारा एमिग्रेशन क्लियरेंस (Emigration Clearance) की अनुमित प्राप्त ई.सी.आर. (ECR) पासपोर्ट धारक अथवा ई-माइग्रेट सिस्टम में पंजीकृत हो कर इराक जाने वाले ई.सी.एन.आर. (ECNR) पासपोर्ट धारक प्रवासियों (Emigrant's) को आई.सी.पी (ICP) पर हो रही कठिनाइयों के सन्दर्भ में – आई.सी.पी (ICP) पर प्रवासियों को हो रही विभिन्न कठिनाइयों के सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि –

- i) ई.सी.एन.आर. (ECNR) पासपोर्ट धारक पुनः इराक जाने वाले प्रवासी
 - क) मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर (MoI), इराक (Iraq) द्वारा जारी किए गए पत्न पर यात्रा करने के बजाय अपने पासपोर्ट पर वीजा लगवाने को वरीयता दे जिससे कि आई.सी.पी (ICP) पर अधिकारियों द्वारा यात्रा दस्तावेजों की जांच मे आसानी हो।
 - ख) बी.ओ. आई. (BOI) द्वारा उन प्रवासियों को बिना ई-माइग्रेट सिस्टम में पंजीकरण करे एमिग्रेशन की अनुमति दी जाएगी जो 30 सितंबर 2019 को या उससे पहले इराक में कार्यरत थे और उन के पास वैध यात्रा दस्तावेज हैं।
- ii) भारत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर प्रवासियों का ई-माइग्रेट सम्बंधित डाटा, आई.सी.पी (ICP) पर दिखाई ना देने के कारण बी.ओ. आई. (BOI) से एमिग्रेशन (Emigration) की अनुमित मिलने में कोई कठिनाई होने पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (PBSK Helpline) के दूरभाष क्रमांक (Phone No.) 011-26885021 या ई-मेल आईडी (E-mail Id) helpline@mea.gov.in पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं।

यह अपर सचिव एवं उत्प्रवसियों के महासंरक्षक (PGE) की अनुमित के साथ जारी किया जाता है।

(बिकास आर महतो)

अवर सचिव भारत सरकार (OE-III)

प्रति (ई-माइग्रेट वेबसाइट के द्वारा)

1. प्रवासी भारतीय /जनसामान्य

प्रतिलिपि

- 1. समस्त पी.ओ.ई (POE) कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोच्चि, त्रिवेंद्रम, चंडीगढ़, जयपुर, पटना, रायबरेली और पीओई सेल लखनऊ
- 2. बी.ओ. आई. (BOI), नई दिल्ली
- 3. समस्त रिक्रूटिंग एजेंट्स (Recruitment Agents)/फॉरेन एम्प्लायर (Foreign Employers)
- 4. भारतीय दुतावास, इराक
- 5. कांसुलेट जनरल ऑफ इंडिया, एरबिल, इराक
- 6. प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (PBSK)